

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 127/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/180)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरदर्शन कौर उर्फ सीता देवी पुत्री निहाल सिंह पत्नी तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 09.05.2025

उपस्थित: 1. श्री सुधीर शर्मा, श्री बलवीर सिंह मरोक अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 19.12.2025


- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 में वादी का नाम सीता देवी अंकित है। जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नाम गुरदर्शन कौर दर्ज है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 में अंकित नाम सीता देवी के स्थान पर गुरदर्शन कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 3403 दिनांक 01.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थित जनों ने बताया कि सीता देवी व गुरदर्शन कौर दोनों नाम एक ही महिला के हैं। वादिया को सामान्य बोलचाल में सीता देवी कहा जाता है। साक्ष्यवादी में गवाह इन्द्रजीत सिंह का शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 की प्रति, राजस्व ग्राम 43 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/15 की प्रति, राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/75 की प्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा के तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 में अंकित नाम सीता देवी के स्थान पर गुरदर्शन कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के प्रह्वान सम्बन्धी बैंक पास बुक की छायाप्रति, पासपोर्ट की




छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम गुरदर्शन कौर दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थित जनों ने बताया कि सीता देवी व गुरदर्शन कौर दोनों नाम एक ही महिला के हैं। वादिया को सामान्य बोलचाल में सीता देवी कहा जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार गुरदर्शन कौर उर्फ सीता देवी एक ही महिला के दो नाम हैं। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 में अंकित नाम सीता देवी के स्थान पर सीता देवी उर्फ गुरदर्शन कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।


[श्यामराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं पटवारी उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलास सुनाया गया।


[श्यामराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं पटवारी उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गुरदर्शन कौर उर्फ सीता देवी पुत्री निहाल सिंह पत्नी तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर।		स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 127/2025

निर्णय दिनांक :- 19.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा, श्री बलवीर सिंह मरोक उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 44 एफ, पटवार हल्का बडिंगा, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्बन्ध 2073 ता 2076 के खाता संख्या 109/11 में अंकित नाम सीता देवी के स्थान पर सीता देवी उर्फ गुरदर्शन कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 19.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक 19.12.2025

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक 19.12.2025

क्रमांक: रीडर/2025/925

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक 19.12.2025